21

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

कमांक/एफ–19– 46/25–2/2011/आजावि रायपुर, दिनांक 26. नवम्बर, 2011

प्रति

समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय : हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश।

आपको विदित है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों को संविधान द्वारा प्रदत्त प्रावधानों के तहत लाभों एवं सुविधाओं का उपभोग किए जाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर शिक्षा तथा नौकरी आदि में जाति प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकरणों के माध्यम से समय समय पर राज्य शासन के ध्यान में यह विषय प्रस्तुत हुआ है कि उक्त वर्गों के लोगों द्वारा यथासमय उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं करने के कारण शिक्षा, नौकरी एवं अन्य सुविधाओं के लिए विहित की गई अवधियों के पूर्व तात्कालिक रूप से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के प्रयासों में उन्हें कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा उक्त प्रमाण पत्र जारी करने हेतु विहित सक्षम अधिकारियों के कार्यालयों/न्यायालयों आदि में काफी गहमा–गहमी हो जाती है तथा कदाचित विहित अवधियों के पूर्व प्रमाण पत्र न बन पाने के कारण उन्हें ऐसे अवसरों से भी वंचित होना पड़ता है। अतः राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिला कलेक्टर के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के **कक्षा 9 से 12** तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को अध्ययन अवधि में ही **180 दिवसों का विशेष अभियान** चला कर जाति प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे। इस संबंध में कृपया विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 15 नवम्बर, 2011 का भी अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त मंशा व्यक्त की गई है। तदनुसार उक्त के अनुसरण में निम्नांकित निर्देश प्रसारित किए जाते हैं :–

(1) <u>आवश्यक दस्तावेज की उपलब्धता संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित की जावेगी</u> :

इस अभियान के तहत प्रमुख रूप से यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उक्त प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवश्यक एवं वांछित ऐसे लोक दस्तावेजों जो राज्य शासन के विभिन्न विभागों की अभिरक्षा में संधारित होते हैं की उपलब्धता आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर अभियान के तहत संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित की जावेगी, इस हेतु अध्ययनरत विद्यार्थियों के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जावेगा न ही कोई कठिनाई उपस्थित की जावेगी परंतु ऐसे लोक दस्तावेजों के आधार पर आवेदित दावों की पुष्टि न हो सकने की स्थिति में उक्त विद्यार्थी का आवेदन अपवादिक प्रकरणों की श्रेणी में शामिल माना जावेगा तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ए.आई.आर. 1995 एससी 1506 डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर आंध्रप्रदेश विरूद्ध लावेती गिरी के प्रकरण में किए गए अभिनिर्धारण अनुसार अपनी

सामाजिक स्थिति को साबित करने का भार आवेदक पर होगा तथा उक्त आवेदन–दावा इस अभियान से पृथक कर सामान्य प्रकिया के तहत विचारित किया जावेगा। इस संबंध में यह सुनिश्चित किया जावेगा कि ऐसे आवेदनों को तत्कालिक रूप से निरस्त नही किया जावेगा। यद्यपि अनुभव के आधार पर छानबीन समिति द्वारा जारी लगभग 3,50,000 जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दौरान ऐसे अपवादिक प्रकरणों की संख्या 2 प्रतिशत से अधिक नहीं पाई गई है।

(2) <u>अभियान में राज्य के समस्त हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शमिल होंगे:</u>

हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के तहत केन्द्र शासन, राज्य शासन, स्थानीय निकायों, केन्द्रीय उपक्रमों तथा केन्द्र तथा राज्य शासन से अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों के साथ–साथ निजी संस्थाओं द्वारा संचालित वे विद्यालय भी शामिल होंगे, जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं करते हैं।

(3) <u>आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जावेगी</u> :

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाने पर आने वाले व्यय की पूर्ति इस विभाग द्वारा की जावेगी। कुछ जिलों के अनुभव के आधार पर लगभग 10 रूपये प्रति छात्र व्यय आता है। इस समस्त प्रकिया में स्टेशनरी फार्म प्रिंटिंग, स्कैनिंग/रिकार्डस की फोटोकापी एवं प्लास्टिक कव्हर आदि पर होने वाला व्यय सम्मिलित होगा।

(4) <u>अभियान के तहत 12 कक्षा के विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र बनाने हेतु विशेष ध्यान तथा प्रमाण पत्र जारी करने की सामान्य प्रकिया अभियान के कारण स्थगित या विलंबित नहीं की जावेगी</u> :

इस अभियान के तहत 12 कक्षा के विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र बनाने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जावेगा। तथा उन्हें विद्यालय से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर शाला छोड़ने के पूर्व प्रदाय किया जावेगा। इस संबंध में यह भी ध्यान रखा जावेगा कि इस अभियान के कारण इन वर्गों के अन्य आवेदकों अर्थात जो विद्यालयों में अध्ययनरत नहीं हैं या महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त कर रहें हैं, के प्रमाण पत्र बनाने की प्रकिया स्थगित या विलंबित नहीं की जावेगी।

(5) <u>नोडल अधिकारी, उप नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे</u> :

इस अभियान के सुचारू रूप से संचालन हेतु कलेक्टर द्वारा जिला, तहसील तथा विकास खण्ड स्तर पर नोडल अधिकारी, उप नोडल अधिकारी तथा सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्तियाँ की जावेगी । जिले में एक सें अधिक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा सकेंगे।

(6) <u>सक्षम अधिकारियों तथा नोडल अधिकारियों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया जावेगा:</u>

इस पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के संबंध में आदिम जाति अनुसधान तथा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तक संलग्न प्रेषित किया जा रहा है। उक्त पुस्तक से आवश्यक निर्देशों की छायाप्रतियाँ जिला स्तर से उक्त प्रमाण पत्र जारी करने हेतु विहित सक्षम अधिकारियों तथा इस अभियान के नोडल अधिकारियों को वितरित की जावेंगी, साथ ही जिला स्तर पर यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि उक्त

प्रमाण पत्र जारी करने हेतु विहित सक्षम अधिकारियों तथा इस अभियान के नोडल अधिकारी, उप नोडल अधिकारी तथा सहायक नोडल अधिकारियों को जिला स्तर पर प्रशिक्षित किया जावे। आवश्यकता होने पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी प्रशिक्षण हेतु राज्य आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारियों को भी आहूत किया जा सकेगा।

(7) <u>नोडल अधिकारियों द्वारा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों तथा प्राचार्यों को प्रशिक्षण दिया जावेगा:</u>

इस अभियान के तहत विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों तथा विद्यालयों के प्राचार्यों की विशेष भूमिका होगी। अतः नोडल अधिकारियों द्वारा जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत अपने–अपने क्षेत्र के विकास खण्ड अधिकारियों, प्राचार्यों को आवेदन पत्रों की प्रविष्टि एवं अग्रेषण आदि के संबंध में प्रशिक्षित किया जावेगा।

(8) <u>नोडल अधिकारी, उप नोडल अधिकारी तथा संहायक नोडल अधिकारियों के कर्तव्य</u> :

(8.1) नोडल अधिकारी द्वारा उप नोडल अधिकारी तथा सहायक नोडल अधिकारी की सहायता से सुनिश्चित किया जावेगा कि जिले में संचालित समस्त हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों के माता–पिता/पालकों से विहित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर लिया गया है। आवेदन फार्म भराने का कार्य स्कूल में ही कराया जाय। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विद्यार्थियों के प्राथमिक विद्यालयों की दाखिल खारिज पंजी से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई है, उसे आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से संबंधित राजस्व अधिकारियों को अग्रेषित किया गया है तथा प्रमाण पत्र विहित सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित होने के उपरांत पुनः विकास खण्ड अधिकारियों के माध्यम से संबंधित विद्यालयों को तथा विद्यालयों के माध्यम से संबंधित विद्यार्थियों को वितरित कर दिया गया है। इस संबंध में सहायक नोडल अधिकारी उप नोडल अधिकारी तथा नोडल अधिकारी उर्ध्वक्रम में कलेक्टर को विद्यालय, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय तथा अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में **प्रपत्र 2 से प्रपत्र 11** के तहत संकलित जानकारी के आधार पर **प्रपत्र 1** अनुसार प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा कलेक्टरों द्वारा नोडल अधिकारियों से प्राप्त जानकारी का एकजाई विवरण राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी – आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, छत्तीसगढ़, रायपुर को **प्रपत्र 1 ए** में प्रेषित किया जावेगा।

(8.2) नोडल अधिकारी, उप नोडल अधिकारी तथा सहायक नोडल अधिकारी विद्यालयों, विकास खण्ड अधिकारियों तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा तहसीलदार के मध्य समन्वय स्थापित करेंगे। इस हेतु कलेक्टर कार्यालय द्वारा अपने स्तर से भी परस्पर समन्वय बनाने के निर्देश ज़ारी किए जावेंगे जिसमें जिले के राजस्व अधिकारियों तथा नोडल अधिकारियों आदि के नाम, पद, टेलीफोन नम्बर आदि का विवरण शामिल होगा।

(8.3) नोडल अधिकारी उप नोडल तथा सहायक नोडल अधिकारियों की सहायता से विद्यालयों में विहित आवेदन पत्र मय संलग्नक उपलब्ध कराना, उक्त आवेदन पत्र एवं संलग्नकों में समुचित प्रविष्टि कराना, प्रविष्टि के दौरान आने वाली शंकाओं तथा कठिनाईयों का निराकरण करना आदि सुनिश्चित करेंगे। यदि उक्त संबंध में किसी विषय पर शंकाओं एवं कठिनाईयों का निराकरण उत्तरोत्तर जिला स्तर पर नहीं किया जा सका हो तो उक्त विषय संक्षिप्त विवरण के साथ कलेक्टर द्वारा इस विभाग को मार्गदर्शन हेतु प्रेषित किया जावेगा।

सामाजिक स्थिति को साबित करने का भार आवेदक पर होगा तथा उक्त आवेदन–दावा इस अभियान से पृथक कर सामान्य प्रकिया के तहत विचारित किया जावेगा। इस संबंध में यह सुनिश्चित किया जावेगा कि ऐसे आवेदनों को तत्कालिक रूप से निरस्त नही किया जावेगा। यद्यपि अनुभव के आधार पर छानबीन समिति द्वारा जारी लगभग 3,50,000 जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दौरान ऐसे अपवादिक प्रकरणों की संख्या 2 प्रतिशत से अधिक नहीं पाई गई है।

(2) **अभियान में राज्य के समस्त हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शमिल होंगे:**

हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के तहत केन्द्र शासन, राज्य शासन, स्थानीय निकायों, केन्द्रीय उपकमों तथा केन्द्र तथा राज्य शासन से अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों के साथ–साथ निजी संस्थाओं द्वारा संचालित वे विद्यालय भी शामिल होंगे, जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं करते हैं।

(3) **आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जावेगी** :

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाने पर आने वाले व्यय की पूर्ति इस विभाग द्वारा की जावेगी। कुछ जिलों के अनुभव के आधार पर लगभग 10 रूपये प्रति छात्र व्यय आता है। इस समस्त प्रकिया में स्टेशनरी फार्म प्रिंटिंग, स्कैनिंग/रिकार्डस की फोटोकापी एवं प्लास्टिक कव्हर आदि पर होने वाला व्यय सम्मिलित होगा।

(4) **अभियान के तहत 12 कक्षा के विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र बनाने हेतु विशेष ध्यान तथा प्रमाण पत्र जारी करने की सामान्य प्रकिया अभियान के कारण स्थगित या विलंबित नहीं की जावेगी**

इस अभियान के तहत 12 कक्षा के विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र बनाने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जावेगा। तथा उन्हें विद्यालय से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर शाला छोड़ने के पूर्व प्रदाय किया जावेगा। इस संबंध में यह भी ध्यान रखा जावेगा कि इस अभियान के कारण इन वर्गों के अन्य आवेदकों अर्थात जो विद्यालयों में अध्ययनरत नहीं हैं या महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त कर रहें हैं, के प्रमाण पत्र बनाने की प्रकिया स्थगित या विलंबित नहीं की जावेगी।

(5) **नोडल अधिकारी, उप नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे** :

इस अभियान के सुचारू रूप से संचालन हेतु कलेक्टर द्वारा जिला, तहसील तथा विकास खण्ड स्तर पर नोडल अधिकारी, उप नोडल अधिकारी तथा सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्तियॉ की जावेगी । जिले में एक से अधिक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा सकेंगे।

(6) **सक्षम अधिकारियों तथा नोडल अधिकारियों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया जावेगा:**

इस पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र जारी करने से संबधित भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के संबंध में आदिम जाति अनुसधान तथा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तक संलग्न प्रेषित किया जा रहा है। उक्त पुस्तक से आवश्यक निर्देशों की छायाप्रतियॉ जिला स्तर से उक्त प्रमाण पत्र जारी करने हेतु विहित सक्षम अधिकारियों तथा इस अभियान के नोडल अधिकारियों को वितरित की जावेंगी, साथ ही जिला स्तर पर यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि उक्त

प्रमाण पत्र जारी करने हेतु विहित सक्षम अधिकारियों तथा इस अभियान के नोडल अधिकारी, उप नोडल अधिकारी तथा सहायक नोडल अधिकारियों को जिला स्तर पर प्रशिक्षित किया जावे। आवश्यकता होने पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी प्रशिक्षण हेतु राज्य आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारियों को भी आहूत किया जा सकेगा।

(7) <u>नोडल अधिकारियों द्वारा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों तथा प्राचार्यों को प्रशिक्षण दिया जावेगा:</u>

इस अभियान के तहत विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों तथा विद्यालयों के प्राचार्यों की विशेष भूमिका होगी। अतः नोडल अधिकारियों द्वारा जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत अपने–अपने क्षेत्र के विकास खण्ड अधिकारियों, प्राचार्यों को आवेदन पत्रों की प्रविष्टि एवं अग्रेषण आदि के संबंध में प्रशिक्षित किया जावेगा।

(8) <u>नोडल अधिकारी, उप नोडल अधिकारी तथा संहायक नोडल अधिकारियों के कर्तव्य</u> :

(8.1) नोडल अधिकारी द्वारा उप नोडल अधिकारी तथा सहायक नोडल अधिकारी की सहायता से सुनिश्चित किया जावेगा कि जिले में संचालित समस्त हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों के माता–पिता/पालकों से विहित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर लिया गया है। आवेदन फार्म भराने का कार्य स्कूल में ही कराया जाय। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विद्यार्थियों के प्राथमिक विद्यालयों की दाखिल खारिज पंजी से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई है, उसे आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से संबंधित राजस्व अधिकारियों को अग्रेषित किया गया है तथा प्रमाण पत्र विहित सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित होने के उपरांत पुनः विकास खण्ड अधिकारियों के माध्यम से संबंधित विद्यालयों को तथा विद्यालयों के माध्यम से संबंधित विद्यार्थियों को वितरित कर दिया गया है। इस संबंध में सहायक नोडल अधिकारी उप नोडल अधिकारी तथा नोडल अधिकारी उर्ध्वक्रम में कलेक्टर को विद्यालय, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय तथा अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में **प्रपत्र 2 से प्रपत्र 11** के तहत संकलित जानकारी के आधार पर **प्रपत्र 1** अनुसार प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा कलेक्टरों द्वारा नोडल अधिकारियों से प्राप्त जानकारी का एकजाई विवरण राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी – आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, छत्तीसगढ़, रायपुर को **प्रपत्र 1 ए** में प्रेषित किया जावेगा।

(8.2) नोडल अधिकारी, उप नोडल अधिकारी तथा सहायक नोडल अधिकारी विद्यालयों, विकास खण्ड अधिकारियों तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा तहसीलदार के मध्य समन्वय स्थापित करेंगे। इस हेतु कलेक्टर कार्यालय द्वारा अपने स्तर से भी परस्पर समन्वय बनाने के निर्देश जारी किए जावेंगे जिसमें जिले के राजस्व अधिकारियों तथा नोडल अधिकारियों आदि के नाम, पद, टेलीफोन नम्बर आदि का विवरण शामिल होगा।

(8.3) नोडल अधिकारी उप नोडल तथा सहायक नोडल अधिकारियों की सहायता से विद्यालयों में विहित आवेदन पत्र मय संलग्नक उपलब्ध कराना, उक्त आवेदन पत्र एवं संलग्नकों में समुचित प्रविष्टि कराना, प्रविष्टि के दौरान आने वाली शंकाओं तथा कठिनाईयों का निराकरण करना आदि सुनिश्चित करेंगे। यदि उक्त संबंध में किसी विषय पर शंकाओं एवं कठिनाईयों का निराकरण उत्तरोत्तर जिला स्तर पर नहीं किया जा सका हो तो उक्त विषय संक्षिप्त विवरण के साथ कलेक्टर द्वारा इस विभाग को मार्गदर्शन हेतु प्रेषित किया जावेगा।

(9) अभियान की प्रकिया :

(9.1) कलेक्टर कार्यालय से जिला शिक्षा अधिकारी तथा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को जाति प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन पत्रादि (मय संलग्नक) का मुद्रित सेट कक्षा 9 से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अनुमानित दर्ज संख्या के आधार पर प्रदाय किया जावेगा। उक्त अधिकारीगण प्राप्त आवेदन पत्रों को विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विकास खण्ड के समस्त हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को भेजेंगे।

(9.2) प्राचार्य अपने अमले की सहायता से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की पहचान कर उनसे तथा उनके पालकों से आवेदन पत्र की समस्त कण्डिकाओं के तहत समुचित प्रविष्टि करवाएँगें तथा प्राचार्य प्रत्येक आवेदन पत्र पर विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक द्वारा जाति के संबंध में दी गई जानकारी का सत्यापन विद्यालय की दाखिल खारिज पंजी के आधार पर करेंगे। यदि विद्यार्थी अथवा उसके पालक द्वारा जाति की पुष्टि हेतु कोई निजी दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जावेगा जिससे शासकीय श्रम, धन एवं बल की बचत होगी परंतु इस हेतु प्राचार्य द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दबाव अभियान में शामिल संबंधित विद्यार्थी या उसके पालक पर नहीं डाला जावेगा।

(9.3) विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी प्राप्त सूची अनुसार संबंधित आवेदक (विद्यार्थी) के दाखिल खारिज पंजी (प्राथमिक विद्यालय) की नकल प्राप्त कर वापस संबंधित विद्यालय को प्रेषित कर दिया जावेगा।

(9.4) प्राचार्य द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र, प्राथमिक विद्यालय की दाखिल खारिज पंजी की नकल, अन्य निजी दस्तावेज (यदि विद्यार्थी या उसके पालक द्वारा स्वेच्छा से संलग्न किया गया है) के साथ आवेदन पत्र सूची सहित अपने विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को अग्रेषित की जावेगी।

(9.5) विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों को उस क्षेत्र के तहसीलदार के न्यायालय में विशेष वाहक से सूची सहित भेजेंगे।

(9.6) तहसीलदार प्राप्त आवेदन पत्रों को राजस्व निरीक्षक मण्डलवार छाँटकर उसे अपने न्यायालयीन प्रकरण पंजी में पंजीयन करेंगे तथा हल्का पटवारी से निर्धारित प्रारूप में उसका प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। राजस्व निरीक्षक/पटवारी आवेदन पत्र के साथ पंचनामा में यथानुसार ग्राम के सरपंच एवं ग्रामवासियों अथवा वार्ड पार्षद एवं वार्डवासियों के हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे तथा उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र, संलग्नक एवं दस्तावेजों के गुण दोष अनुसार अनुशंसा कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सूची सहित अग्रेषित कर देंगे।

(9.7) जिन विद्यार्थियों के आवेदन पत्र या संलग्नकों में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है, ऐसे आवेदन पत्र तहसीलदार यथानुसार नोडल अधिकारी, उप नोडल अधिकारी तथा सहायक नोडल अधिकारी को कमी का विवरण अंकित करते हुए सूची सहित वापस प्रेषित करेंगे। नोडल अधिकारी आदि उक्त कमी की पूर्ति/निवारण करने के उपरांत पुनः तहसीलदार को अग्रेषित कर देंगे।

(9.8) तहसीलदार की गुण–दोष अनुसार अनुशंसा के साथ प्राप्त आवेदन पत्रों को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपने न्यायालय में पंजीकृत करावेंगे। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उक्त आवेदन

(9.9) जिन विद्यार्थियों के आवेदन पत्र इस अभियान के तहत तत्काल जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने योग्य नही पाए जाते हैं उन्हें इस अभियान से पृथक करते हुए अपवादिक प्रकरण की श्रेणी में शामिल किया जावेगा तथा उनकी जॉच का कार्य पृथक से किया जावेगा परंतु इस अभियान की समयावधि की तात्कालिकता के कारण निरस्त नहीं किया जावेगा। इस पर निर्णय अभियान के अवधि के बाद में गुण–दोष अनुसार लिया जावेगा जिसकी सूचना अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से संबंधित प्राचार्य को दी जावेगी।

(9.10) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से प्राप्त आवेदन पत्र, सह आवेदन पत्र, संलग्नक, दस्तावेज तथा जाति प्रमाण पत्र (मूल में) का परीक्षण कर छानबीन समिति गुण–दोष के आधार पर जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर अथवा जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को वितरण हेतु सूची सहित वापस प्रेषित करेगी। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भी यथा अनुसार जाति प्रमाण पत्र नोडल/उप नोडल/सहायक नोडल अधिकारी के माध्यम से प्राचार्य तथा संबंधित आवेदकों को वितरित करना सुनिश्चित करेंगे।

(10) <u>आवेदन पत्र एवं संलग्नक</u> :

(10.1) जिला कलेक्टर जिले में संचालित हाई स्कूलों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या के आधार पर जाति प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र एवं संलग्नकों तथा प्रमाण पत्रों को विहित प्रारूप अनुसार मुद्रित करायेंगे। यह सुविधाजनक होगा कि आवेदन पत्रों संलग्नकों तथा प्रमाण पत्रों के कागज के रंग (हल्का हरा, गुलाबी, आसमानी तथा सफेद आदि) को पृथक–पृथक कर दिया जावे ताकि वर्गवार आवेदन पत्रों, संलग्नकों तथा प्रमाण पत्रों को सहज में पहचाना जा सके।

(10.2) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप **"परिशिष्ट–1"** अनुसार होगा। विद्यार्थी के पिता अथवा माता अथवा वैध पालक द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र **" परिशिष्ट –क"** अनुसार, पंचनामा **" परिशिष्ट–ख"** अनुसार तथा पटवारी प्रतिवेदन **" परिशिष्ट–ग"** अनुसार होगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदन पत्र आदि के कागज का रंग पृथक पृथक रखा जा सकता है।

(10.3) अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप **"परिशिष्ट–2"** अनुसार होगा। आवेदन पत्र **प्रपत्र – 2** के साथ विद्यार्थी के पिता अथवा माता अथवा वैध पालक द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र **" परिशिष्ट –च"** अनुसार, पंचनामा **" परिशिष्ट–छ"** अनुसार तथा पटवारी प्रतिवेदन **"परिशिष्ट –ज"** अनुसार होगा।

(11) <u>जाति प्रमाण पत्र</u> :

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग का जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित किए गए अनुसार जारी किया जावेगा।

(12) छानबीन समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन जाति प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा के बाद उसी पृष्ठ पर निचले हिस्से में **परिशिष्ट–4** तथा **परिशिष्ट–5** अनुसार किया जावेगा । इस अभियान से भिन्न प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन छानबीन समिति के द्वारा पूर्व निर्धारित प्रकिया अनुसार किया जावेगा।

2— कृपया शासन की मंशा अनुसार उपर्युक्त निर्देशों के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। तथा इस अभियान की प्रगति की मासिक जानकारी नोडल अधिकारी—आयुक्त,आदिम जाति तथा अनुसचित जाति विकास, रायपुर को नियमित रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्न—यथोपरि

(मनोज कुमार पिंगुआ)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

पृ कमांक / एफ—19— 46/25—2 / 2011 / आजावि 2011 रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर, 2011

प्रतिलिपि,

1. सचिव मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर
2. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर

की ओर सूचनार्थ.

3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, रायपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु. जिला कलेक्टरों एवं संबंधित राजस्व अधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधिकारियों को अनुषांगिक निर्देश प्रसारित करने हेतु संप्रेषित.

6 आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. आयुक्त, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. संभागीय आयुक्त, रायपुर / बिलासपुर / बस्तर / सरगुजा
8 संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़, रायपुर.
8. समस्त सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग